

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100



HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL



320  
24/3/14  
बिहार

37

24 MAR 2014

No. 37 Bato



पातालदास पिता रामकृपादास ग्राम ओंकारेश्वर  
महातहसील खण्डवा जिला खण्डवा महेश्वर पुष्पा  
वास्ते शंभुप्रसाद नयतमपत्र  
491638  
84/3/14

"प्रास्य-26"

नियम 4 क देखिये

बिहार  
खण्डवा

36, जहानाबाद निवाचन क्षेत्र तै निवाचन क्षेत्र का नाम  
लोक सभा सदन का नाम के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग

ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र ।

भाग-क

मैं पाताल दास पुत्र/पुत्री/पत्नी राम कृपा दास  
आयु 45 वर्ष जो मुहल्ला - ब्रह्मेश्वर वार्ड क्रमिक - 07  
ओंकारेश्वर भागा - खण्डवा जिला - खण्डवा - महेश्वर प्रदेश  
डाक का

पूरा पता लिखें का/की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन तै अभ्यर्थी हूँ, सत्य निष्ठा  
तै प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ

मैं निर्दलीन राजनैतिक दल का नाम द्वारा ख  
किया गया अभ्यर्थी/एक त्वन्त्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ ।

लागू न हो उतै काट दें  
मेरा नाम 175 मां च्याता, महेश्वर प्रदेश निवाचन क्षेत्र और राज्य का नाम  
में भाग सं 19 के क्रम सं 24 पर प्रकट है ।



§3§ मेरा संपर्क टेलीफोन नं० 09424705806 है ।

मेरा ई-मेल आईडी § यदि कोई हो तो § शून्य है

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउन्टस § यदि कोई हो § शून्य है

§4§ स्थाई लेखा संख्याक §पैन§ के ब्योरे और आय-कर विवरणी फाईल करने की प्राप्ति-  
-थति-

क्रम  
सं०

नाम

पैन

वित्तीय वर्ष  
जिसके लिए  
अन्तिम आयकर  
विवरणी फाईल  
की गई है

आयकर विवरणी में  
उपदर्शित कुल  
आय § व्यय में

1. स्वयं → BMRPP3030M

2. पति या पत्नी - शून्य

3. आश्रित- 1 - शून्य

4. आश्रित- 2 - शून्य

5. आश्रित- 3 - शून्य



में ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारित वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए है। यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी-

(i) निम्नलिखित मामला(मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए है।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शुद्ध
(ख)	संबंधित अधिनियम(अधिनियमों) की धारा(धाराए) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शुद्ध
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शुद्ध
(घ)	न्यायालय, जिसके(जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की विरचना की गई	शुद्ध
(ङ)	तारीख(तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शुद्ध
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/है	शुद्ध

(ii) निम्नलिखित मामला(मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/है जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है {पूर्वाक्त

मदद(i) में वर्णित मामलों से भिन्न}-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शुद्ध
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराए) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	शुद्ध
(ग)	पूर्वाक्त आदेश(आदेशों) के विरुद्ध सुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील(अपीलें)/आवेदन(आवेदनो)(यदि कोई हो) के ब्यौरे	शुद्ध



किसी अपराध(अपराधों)(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा(1) या उपधारा(2) में निर्दिष्ट या उपधारा(3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध(अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है-

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा-

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है-

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा(धाराएं) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	शुन्य
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	शुन्य
(ग)	अधिरोपित दंड	शुन्य
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	शुन्य

(7). मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आरितियों(जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे:-

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख स्कीम बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण(5) में है।

रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिये जाने हैं।



क्र.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	Rs 5000	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी है) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	222 बैंक ऑफिस A/c No. 630167-36568 Rs 35132	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनितों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम।	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम।	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत(मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु(वस्तुएं)(भार और मूल्य के ब्यौरे)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	समग्र कुल मूल्य	40,132	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध



शावर आस्तियों के ब्यौरे

व्यं 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

व्यं 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	क्षेत्र(एकड में कुल माप)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हा या नहीं)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(ii)	गैर कृषि भूमि - अवस्थिति(अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक(संख्याएँ)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हा या नहीं)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य



	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हा या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क्या विरासत में आई संपत्ति है (हा या नहीं)		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
(v)	अन्य(जैसे कि संपत्ति में हित)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
(vi)	पूर्वोत्तर (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध

(8). मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ-  
(टिप्पण - कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था(संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	कोई अन्य दायित्व	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	दायित्वों का कुल योग	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	सरकारी शोध्य - सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध





	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	सरकारी परिवहन( वायुयान ओर हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	आय-कर शोध्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	धनकर शोध्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	सेवाकर शोध्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	विक्रयकर शोध्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	कोई अन्य शोध्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य

(9). वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे:-

(क) स्वयं..... कृषि वाचक .....

(ख) पति या पत्नी..... शुन्य .....

(10). मेरी शैक्षिक अहर्ता नीचे दिये अनुसार है-

मध्यमा उत्तीर्ण

संस्कृत उच्च विद्यालय हुलासगंज सन 1984

बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना

(आपका डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)



आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)						
	विवरण	स्वर्यं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
ख	स्थावर आस्तियां	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	I	स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	II	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	III	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
		(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
9	दायित्व		शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है						
11	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता - प्रोफेसर उत्तीर्ण, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना					

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/ विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)



## सत्यापन

उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हू कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि -

- (क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलों से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।
- (ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख.....24.3.14.....को सत्यापित किया गया।

Attested  
R  
24.3.14

अभिसाक्षी


- टिप्पण - 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराहन तक फाइल किया जाना चाहिए।
- टिप्पण - 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
- टिप्पण - 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो यथास्थित शून्य या लागू नहीं होता उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- टिप्पण - 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठयरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।
- टिप्पण - 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो शून्य या लागू नहीं या ज्ञात नहीं जो उपयुक्त हो ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण - 6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

मेरा दूरभाष संपर्क संख्या/संख्याएँ है/हैं मोबाइल नं - 09424405806

मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है.....gms.....

एवं मेरे सोशल मीडिया एकाउंटस (अगर कोई हो) है.....gms.....



24 MAR 2014